

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आवेदन अं./धा. 482 सं. - 4941 वर्ष 2026**

अमित यादव एवं एक अन्य

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग,

उ. प्र. लखनऊ एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : शिव कुमार यादव

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय सं. - 12**माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा**

1. अधिवक्ता श्री शिव कुमार वर्मा ने विरोधी पक्षकार सं. 2/ सूचनादाता की ओर से अपना

वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

2. याचीगण के अधिवक्ता, राज्य प्रत्युत्तरदाता सं. 1 के विद्वान् अ.शा.अधि., और विरोधी

पक्षकार सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता श्री शिव कुमार वर्मा को सुन ॥

3. धारा 482, दं.प्र.सं. के अधीन प्रस्तुत याचिका आवेदकगण द्वारा, मुकदमा अपराध सं.

109 वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 376, 323 एवं 504, भा.दं.सं., पुलिस थाना, महिला थाना, जिला

लखनऊ में अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल आरोप-पत्र सं. 01 वर्ष 2023 दिनांक

08.01.2023 निरस्त करने के लिए दाखिल की गई है, जो विद्वान् द्रुत गति न्यायालय,

लखनऊ के समक्ष दांडिक वाद सं. सं. 63721 वर्ष 2023 (राज्य बनाम अमित यादव एवं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अन्य) के रूप में लंबित है। विद्वान् अवर न्यायालय ने आवेदकगण/याचीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया है और आक्षेपित समन आदेश दिनांक 28.03.2023 पारित किया है।

4. याची के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि यह मामला धारा 376, 323 और 504, भा.दं.सं. के अधीन एक मामला है। याचीगण के विरुद्ध आरोप है कि याची सं. 1 के पिछले चार वर्ष से पीड़िता के साथ संबंध थे। जबकि पीड़िता ने 16.08.2022 को उनके विरुद्ध यह अभिकथन करते हुए प्र.सूरि. दर्ज कराई थी कि उसने विवाह करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे थे, और जब उसने विवाह के लिए दबाव डाला, तो उसने उससे विवाह करने से इन्कार कर दिया था, और उसे थप्पड़ भी मारा और उसकी मां को गाली दी थी।

5. उन्होंने अग्रेतर निवेदित किया है कि प्र.सूरि. को देखने मात्र से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सूचनादाता और याची सं. 1 के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध रहे थे। समय के साथ, पक्षकारों को समझ आया था और उन्होंने मामले में समझौता कर लिया था। याची सं. 1 पर कोई आरोप नहीं है कि उसने पीड़िता के साथ हिंसक या बलात् यौन संबंध बनाए थे। यह मामला वास्तव में प्राइवेट प्रकृति का है और समझौते द्वारा सुलझाए जाने योग्य है।

6. उन्होंने अग्रेतर निवेदित किया है कि इस संबंध में आवेदन अं./धा. 482, सं. 9816 वर्ष 2023 अधिमानित किया गया था, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले में पारित समन आदेश दिनांक 28.3.2023 और अन्वेषण के बाद याचीगण के विरुद्ध दाखिल आरोप-पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उन्होंने अग्रतर निवेदित किया है कि इस न्यायालय ने, आवेदन अंतर्गत धारा 482 सं. 9816 वर्ष 2023 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया था। उक्त आदेश के सुसंगत पैरा 4 से 10 एतदनिम्न उद्धृत किए गए हैं:

"4. आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि पीड़िता वयस्क, समझदार और शिक्षित महिला हैं और वह स्वेच्छा से आवेदक सं. 1 के साथ जुड़ी थी और उसने आवेदक सं. 1 से अपने खाते में लगभग रु. 7,00,000 लिए थे (खाता विवरण आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र के साथ एस ए-1 के रूप में संलग्न है)। उन्होंने अग्रतर निवेदित किया है कि जब आवेदक सं. 1 ने कुछ धन मांगा था, तो गलत तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत मामले में प्र.सू.रि., इस अभिकथन के साथ दर्ज कराई गई थी, कि विवाह के बहाने आवेदक सं. 1 द्वारा पीड़िता का शारीरिक शोषण किया जा रहा था। उन्होंने अग्रतर निवेदित किया है कि विवाह के बहाने पीड़िता का कभी शोषण नहीं किया गया था क्योंकि वह अपनी इच्छा से आवेदक सं. 1 के साथ जुड़ी हुई थी।"

5. आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, शंभू खरवार बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य (दांडिक अपील सं. 1231 वर्ष 2022, दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 एस सी सी 675 में प्रकाशित और प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य, (2019) 9 एस सी सी 608 में प्रकाशित विनिश्चय पर विश्वास किया है, और निवेदित किया है कहा कि पीड़िता वयस्क और समझदार महिला है और उसकी सहमति को तथ्यों की गलतफहमी के आधार पर प्राप्त नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इस मामले में न्यायालय का कृपापूर्ण हस्तक्षेप आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विद्वान् अ.शा.अधि. ने आवेदकगण की प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदित किया है कि विस्तृत अन्वेषण के बाद, आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है और इस प्रक्रम पर आवेदकगण की इन सभी प्रतिरक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता है, किन्तु वे इस तथ्य से इन्कार नहीं करते हैं कि पीड़िता वयस्क और शिक्षित महिला है।

7. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने, आवेदन की विषयवस्तु, और अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करने पर, क्योंकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि पीड़िता वयस्क और शिक्षित महिला है, और यह भी स्पष्ट है कि आवेदक सं. 1 द्वारा पीड़िता के खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई थी, इसलिए मामले पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

8. इस मामले को जनवरी, 2024 के द्वितीय सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए।

9. प्राइवेट प्रत्युत्तरदाता को शीघ्र दिनांक पर वापसी योग्य नोटिस जारी किया जाए।

10. आक्षेपित कार्यवाहियों पर अग्रिम आदेश तक रोक लगी रहेगी।"

8. उन्होंने अग्रतर निवेदित किया है कि पूर्ववर्ती आवेदन अं./धा. 482 सं. 9816 वर्ष 2023 में पारित उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की उपस्थिति में समझौते का सत्यापन किया है। सत्यापित समझौते अभिलेख की प्रति, समझौते आदेश की सत्यापित-प्रति के साथ वर्तमान याचिका में संलग्नक सं. 9 एवं 11 के रूप में दाखिल की गई है। उक्त समझौते का विचारण न्यायालय द्वारा 27.2.2026 सत्यापन किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त की दृष्टि से, प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता ने याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा, समझौते के निबंधनों में उनके विरुद्ध चल रही दांडिक कार्यवाही निरस्त करने के लिए की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं की है।

10. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा की गई संयुक्त प्रार्थना की, और इस तथ्य की दृष्टि से कि पक्षकारों ने समझौते के, जिसका सम्यक् रूप से सत्यापन अवर न्यायालय द्वारा 27.02.2026 को किया गया है, निबंधनों में अपने विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया है, मुकदमा अपराध सं. 109 वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 376, 323 एवं 504, भा.दं.सं., पुलिस थाना महिला थाना, जिला लखनऊ में अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र सं. 01 वर्ष 2023 दिनांक 08.01.2023 से उत्पन्न कार्यवाही, जो विद्वान् द्रुत गति न्यायालय, लखनऊ के समक्ष दांडिक मामला सं. 63721 वर्ष 2023 (राज्य बनाम अमित यादव एवं अन्य) के रूप में लंबित है, और समन आदेश दिनांक 28.03.2023, एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं।

11. याचिका तदनुसार अनुज्ञात की जाती है।

12. इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को सूचना और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा)

जून 19, 2026
केआर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।